

रामानन्द / कुलाश

केस संख्या 9/2024 (72)

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	संख्या : दिनांक आज्ञा या कार्यवाही
26.6 2024		<p>परावामी उद्भुत। व.ड.डप/उमपपडा कृषि की बंधन पुनीगरी प्राचीन एवं कृषिगण सध्यालै डार है। कृषिगण/बिना विधि किराण के इन्त काराजी को खुर्द-कुर्द एवं बेमान कले पर आमाडा है। यदि कृषिगण इन्त कृत्य कले में सफल हो जाते है, तो प्राचीन को अप्रणीय क्षति होने की उच्च संभावना है। अतः कृषिगण को जर्मि अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। एतने परावामी का इच्छित कि वाड क्यार से संबंधित है, यदि कृषिगण बिना विधि त काले के विधि भू-भाग को खुर्द-कुर्द एवं बेमान करते है तो प्राचीन/वाडीगण के वाड का कर्मि समाप्त होने की संभावना है। अतः वाड बाधुल्यता को रोकने व उनके संरक्षण हेतु इस न्यायालय के आदेश दिनांक 13.11.2024 को मूल वाड के निलारण त अस्थाई किया जाता है। इन्त स्थान आदेश कृषि कर्म, ज्यो सध्याली भोजनाको पर लागू नहीं होगा। परावामी के लला कुमार ही पर डा. किलक इतर है।</p>	

सहायक कलक्टर
 आमेर जयपुर